तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

16.03.26

पत्रावली पेश हुई।

दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थना पत्र दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि सरहद मौजा मांगी तहसील सिवाना में प्रार्थीगण का संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 47 रकबा 01.8375 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है, प्रार्थीगण का पीढियों से खेतो की माठ के सहारे–सहारे आवागमन हेतु कदीमी रास्ता कायम है, विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के ख्सरासंख्या 25 के दक्षिणी भाग में आम रास्ता कायम है मगर विप्रार्थी संख्या 01 से 3 द्वारा खसरा संख्या 26 के निचले भाग व खसरा संख्या 179 के उपरी भाग के बीच आने जाने हेतु रास्ते पर पट्टियां रापेकर तारबंदी कर दी जिससे आने जोन के का रास्ता अवरूद्ध हो गया है। ये रास्ता आगे सुधांनगर तक जाता है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 25 के दक्षिण सेडे से 12 फीट का रास्ता घोषित किया जावे।

विप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 47 में आने जाने हेतु रास्ता बना हुआ है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलन में नही है तथा रास्ते की भूमि पर खेजडी का वृक्ष खडा है, प्रार्थीगण के आवगमन हेतु वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 45 के सेढे– सेढे मौजूद है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो नया रास्त कायम नहीं किया जा सकता है लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जाना खारिज फरमाया जावे। विप्रार्थीगण द्वारा कथन के समर्थन में विवादित भूमि का गूगल ईमेज प्रस्तुत किया।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन व मनन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधान अनुसारः–

(1) यह आवश्यक आत्यंतिक आवश्यक है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है ;और

(2) अन्य खातेदार की जो में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया हैः–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा अ... रास्ता तब ही कायम किया जा सकता है जब आत्यंतिक आवश्यक ... यदि कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद हो तो नया रास्ता घो... नहीं किया जा सकता है।, 2022 (2) DNR (Rev.) 1358 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJMER Brailal VS Maniram में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि ***जब वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है,*** विप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत गूगल

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:43:10 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	ईमेज से प्रार्थीगण पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना स्पष्ट रूप से प्रतीत है,प्रार्थीगण के पास मौजा मांगी के खसरा संख्या 47 में आवगमन हेतु खसरा संख्या 45 के सेढे–सेढे आवगमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की अत्यंतिक आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने तथा रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता नहीं से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:43:10 IST
Reason: SelfAttested